

# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 10 वर्ष 2017

आवेदक- सोबरन माँझी

क्रेता- राम प्रसाद सोरेन

ग्राम - पोड़दाग

टोला-----

ग्राम - कोजरम

टोला-----

थाना - पेटरवार

जिला-बोकारो

थाना - पेटरवार

जिला- बोकारो

देश की क्र०  
0 एवं तारीख  
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के आरे :  
टिप्पणी तारीख के  
साथ।  
03

## आदेश

यह वाद आवेदक- सोबरन माँझी पिता स्व० पुसा माँझी ग्राम पोड़दाग थाना- पेटरवार जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

| मौजा    | थाना न० | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा               | भूमि दर्जा       |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------------|------------------|
| पोड़दाग | 26      | 14      | 82       | 84 डी०   | 06 डी०                    | टॉड आवासीय योग्य |
|         |         |         |          | कुल      | 06 डी० (छः) डीस्मिल मात्र |                  |

को वे अपने आवश्यक घरेलु खर्च हेतु मो० 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) रुपये में क्रेता- राम प्रसाद सोरेन पिता कार्तिक माँझी ग्राम कोजरम थाना-पेटरवार जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 58/रा० दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 216 दिनांक 18.04.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम पोड़दाग थाना-पेटरवार एवं क्रेता ग्राम कोजरम थाना-पेटरवार जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता के परदादा लुरका माँझी के नाम से दर्ज है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं० 164/1 पर चुडू नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है तथा उसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता सोबरन माँझी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा लुरका माँझी के नाम से खतियान में दर्ज है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-II में उनके दादा के भाई चुडू माँझी के नाम

से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उनके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- लुरका माँझी के नाम सर्वे खतियान तथा चुडू माँझी के नाम लगान रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संताल जाति के हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि विक्रेता के हिस्से की खतियानी रैयती जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- सोबरन माँझी पिता स्व0 पुसा माँझी ग्राम पोड़दाग थाना- पेटरवार जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

| मौजा                                 | खाता न0 | प्लॉट न 0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा | उत्तर सीमा    | दक्षिण सीमा  | पूरब सीमा   | पश्चिम सीमा |
|--------------------------------------|---------|-----------|----------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| पोड़दाग 26                           | 14      | 82        | 84 डी0   | 06 डी0      | रामेश्वर महतो | नीज बिक्रेता | देवान माँझी | सोहन माँझी  |
| <b>कुल 06 डी0 (छः) डीरिमल मात्र।</b> |         |           |          |             |               |              |             |             |

को मो0 1,08,500/- (एक लाख आठ हजार पाँच सौ) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- राम प्रसाद सोरेन पिता कार्तिक माँझी ग्राम कोजरम थाना-पेटरवार जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।